न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या - 14/2010/223 आरटीए

1. भूरासिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति मजबी निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. धर्मसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति मजबी निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांटस

बनाम

1. तेजकौर पुत्री मुखत्यारसिंह पत्नि कालासिंह जाति मजबी निवासी अहमदपुर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुरदेव कौर उर्फ गेवो पुत्री मुखत्यारसिंह पत्नि महेन्द्रसिंह जाति मजबी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. दौला कौर पुत्री मुखत्यारसिंह पत्नि बाबूसिंह जाति मजबी निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. जीरो पुत्री मुखत्यारसिंह पत्नि गुरदेवसिंह जाति मजबी निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मरो पुत्री मुखत्यारसिंह पत्नि सरवनसिंह जाति मजबी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. गुरदयालकौर पत्नि मुखत्यारसिंह जाति मजबी निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। (फौत)

-----रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया मु.न. 55/05 अनवानी भूरासिंह आदि बनाम तेजकौर आदि

सत्यमेव जयते

उपस्थित :-
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलांटस
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 27.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांटस ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश किया। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 4 व 6 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए दावा खारिज किये जाने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र अपीलांटस खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। तनकी सं. 1 व 2 दोनो एक दूसरे से संबंधित है इसको साबित करने के लिए अपीलांटस द्वारा पर्चा खतौनी प्रदर्श 3 व 4 अपने दस्तावेजी साक्ष्य मे पेश की है जिसमे वादग्रस्त भूमि मुखत्यारसिंह पुत्र फुमनसिंह के नाम है तथा चक 3 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 43/43 (43/44) व चक 3 डीएलपी के खाता सं. 41/44 मे दर्ज आराजी वही है तो जो अपीलांटस के पिता मुखत्यारसिंह को उसके पिता फुमनसिंह जरिये प्रदर्श 3 व 4 पर्चा खतौनी के प्राप्त हुई है। लेकिन इन दस्तावेजी साक्ष्यो का न मानने का विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे कुछ भी अंकित नही किया है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होनी साबित है। अपीलांटस के पिता की मृत्यु दिनांक 07.02.2004 को हुई उस समय संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम 2005 प्रभाव मे नही आया था तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांटस अपने पिता स्व. मुखत्यारसिंह के साथ सहअंशधारी थे इसलिये अपीलांटस के पिता के जीवनकाल मे अपीलांट वादग्रस्त भूमि मे 2/3 हिस्से के मालिक थे। तनकी सं 4 को सिद्ध करने का भार रेस्पो0 पर था कि चक 3 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 43/43 (43/44) की 5.060 है0 भूमि मुखत्यारसिंह की स्वयं अर्जित थी जिसका भार रेस्पो0 पर था लेकिन रेस्पो0 ने अपनी साक्ष्य मे ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नही किया कि वादग्रस्त भूमि स्व. मुखत्यारसिंह की स्वयं अर्जित थी जबकि अपीलांटस ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य पर्चा खतौनी प्रदर्श–3 व प्रदर्श 4 से सिद्ध कर दिया था कि पूर्व मे वादग्रस्त भूमि अपीलांटस के दादा फुमनसिंह की भूमि थी तथा यह भूमि प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 मे चालू जमाबंदियों मे अपीलांटस के पिता मुखत्यारसिंह के नाम से दर्ज है तथा संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम 2005 मे प्रभाव मे आया है तथा इससे पूर्व अपीलांटस के पिता की मृत्यु सन् 2004 मे हो गई थी। तनकी सं. 5 का भार रेस्पो0 पर था लेकिन रेस्पो0 ने वादग्रस्त भूमि की वसीयत 01.02.2003 साबित करने के लिऐ ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही की। वसीयतनामे पर स्व. मुखत्यारसिंह के अंगूठे हो तथा वसीयत मुखत्यारसिंह ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से करवाई हो जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है तथा पैतृक सम्पति होने के कारण स्व. मुखत्यारसिंह को अपने हिस्से से ज्यादा वसीयत करने का अधिकार नही था। वादग्रस्त भूमि की वसीयत फर्जी होने के कारण रेस्पो0 ने अपने जवाबदावे मे वादग्रस्त भूमि की घोषणा अपने नाम करवाने बाबत कोई अनुतोष नही चाहा गया है क्योंकि रेस्पो0 को इस तथ्य का ज्ञान था कि प्रश्नगत वसीयत फर्जी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. न्यायिक दृष्टांत मे पुश्तैनी आराजी का बैयनामा खातेदार द्वारा करवाया गया था जिसे राजस्व मण्डल द्वारा प्रार्थीगण के हक हिस्से तक बैयनामा नल व वोईड डिक्लेयर किया गया तथा घोषणा का वाद डिक्री करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को होने बाबत सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा मौजूदा प्रकरण मे भी पुश्तैनी आराजी जो मुखत्यारसिंह को विरासतन प्राप्त हुई थी, की वसीयत मुखत्यारसिंह द्वारा की गई है जो अपीलांटस के हितो पर निष्प्रभावी है। आरआरसी 2001 पेज 309 न्यायिक दृष्टांत मे पुश्तैनी भूमि की आय से खरीद की गई आराजी को पुश्तैनी आराजी होने बाबत तथा समस्त को पार्शनर का खरीद की गई आराजी मे हक हिस्सा होने बाबत सिद्धांत प्रतिपादित किया है, मौजूदा प्रकरण मे भी चक 3 डीएलपी की 4 बीघा आराजी जो मुखत्यारसिंह के नाम से खरीद की गई है, वह पुश्तैनी आराजी की आय से खरीद की गई है, इस कारण खरीद की गई आराजी भी पुश्तैनी आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही की है कि स्व. मुखत्यारसिंह खेती के अलावा अन्य कोई कार्य करता हो जिससे चक 3 डीएलपी की 4 बीघा भूमि आराजी खरीद की है, वह पुश्तैनी आराजी होना पूर्णतः साबित होता है। आरआरडी 1995 पेज 532 व आरआरडी 1984 पेज 851 न्यायिक दृष्टांत मे राजस्व न्यायालय के बैयनामे व रजिस्टर्ड दस्तावेज बाबत क्षेत्राधिकार के बारे मे सिद्धांत प्रतिपादित किया है पुश्तैनी आराजी को खातेदार काश्तकार द्वारा अपने हक हिस्से से ज्यादा विक्रय किया जाता है तो राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड दस्तावेज बाबत निर्णय देने के लिए सक्षम है। मौजूदा प्रकरण मे भी स्व. मुखत्यारसिंह द्वारा अपने हक व हिस्से से ज्यादा आराजी की वसीयत करवाई गई है। आरआरसी 2001 पेज 20 न्यायिक दृष्टांत मे सैक्शन 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सन् 2005 के संशोधन के पूर्व की स्थिति को विस्तृत रूप से खुलासा किया है जिसमे जद्दी जायदाद मे पुत्रो का अपने पिता के साथ बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा है तथा पिता की मृत्यु के उपरांत पिता के हिस्से का विरासतन इंतकाल समस्त वारिसान के नाम दर्ज करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मौजूदा प्रकरण मे स्व. मुखत्यारसिंह के नाम दर्ज समस्त आराजी मे अपीलांट सं. 1 व 2 व स्व. मुखत्यारसिंह 1/3–1/3 हिस्सा के हकदार व हिस्सेदार थे तथा स्व. मुखत्यारसिंह के हिस्से की 1/3 हिस्सा की आराजी के मुखत्यारसिंह की मृत्यु के उपरांत अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 5 सम्पूर्ण आराजी मे से 1/21 हिस्से के प्रत्येक हकदार थे। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2014 पेज 74 व आरआरडी 2014 पेज 582, आरआरसी 2001 पेज 309, आरआरडी 1995 पेज 532, आरआरडी 1984 पेज

851, आरआरसी 2001 पेज 20 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन का करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि जद्दी जायदाद नही है। चक 3 एलएलडब्ल्यू की 5.060 है0 भूमि मुखत्यारसिंह की स्वअर्जित सम्पति थी जिसने अपने जीवनकाल मे अपनी स्वतंत्र इच्छा से दिनांक 01.02.03 को रेस्पो तेजो, गेबो, दौला, जीरो, मरो के हक मे वसीयत की थी मुखत्यारसिंह की मृत्युपरांत उक्त वसीयत प्रभाव मे आयी जिसके अनुसार चक 3 एलएलडब्ल्यू की 5.060 है0 भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 5 के हक व हिस्सा आयी है। उक्त चक 3 एलएलडब्ल्यू की भूमि मे अपीलांटस का कोई हक व हिस्सा नही है। अपीलांटस को प्रश्नगत वसीयत का ज्ञान शूरू से ही रहा है। चूंकि अपीलांअस मुखत्यारसिंह की सेवाचाकरी नही करते थे। मुखत्यारसिंह की सेवाचाकारी रेस्पो0 ही करते थे। जिनकी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर मुखत्यारसिंह ने रेस्पो0 के हक मे वसीयत निष्पादित करवा दी। वसीयत पूर्णतया सही है। जिसके आधार पर रेस्पो0 राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम अंकित करवा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र मे तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए दावा विधि अनुसार सही खारिज किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि चक 3 एलएलडब्ल्यू की 5.060 है0 व चक 3 डीएलपी की भूमि अपीलांटस व रेस्पो0 के दादा स्व. फुमनसिंह के नाम से दर्ज थी। फुमनसिंह द्वारा अपने जीवनकाल मे चक 3 एलएलडब्ल्यू की 5.060 है0 भूमि की एक वसीयत मु. चन्दकौर के पक्ष मे निष्पादित की थी तथा फुमनसिंह के फौत होने के उपरांत उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण मु. चन्दकौर के नाम दर्ज हो गया। मु. चन्दकौर जो लाऔलाद थी, ने एक वसीयत मुखत्यारसिंह पुत्र फुमनसिंह के पक्ष मे वसीयत निष्पादित की तथा उक्त वसीयत के आधार पर मु.चन्दकौर की मृत्यु होने के उपरांत उक्त चक 3 एलएलडब्ल्यू की 5.060 है0 भूमि जरिये वसीयत मुखत्यारसिंह को प्राप्त हुई। इसी प्रकार मुखत्यारसिंह द्वारा अपने जीवनकाल मे रेस्पो0 सं. 1 ता 5 जो कि मुखत्यारसिंह की पुत्रियां है, के पक्ष मे चक 3 एलएलडब्ल्यू की 5.060 है0 भूमि की एक वसीयत दिनांक 01.02.03 को निष्पादित की की जो मुखत्यारसिंह की मृत्यु के बाद प्रभाव मे आयी है। इस प्रकार यह साबित होता है

कि चक 3 एलएलडब्ल्यू की 5.060 है0 भूमि जो जरिये वसीयत चन्दकौर को, चन्दकौर के जरिये मुखत्यारसिंह को तथा मुखत्यारसिंह के जरिये रेस्पो0 सं. 1 ता 5 को प्राप्त हुई है। उक्त चक 3 एलएलडब्ल्यू की भूमि मुखत्यारसिंह को जरिये वसीयत प्राप्त होने के कारण स्वअर्जित सम्पति की श्रेणी मे आती है जिसमे अपीलांटस का कोई हक हिस्सा नही है।

7. जहां तक चक 3 डीएलपी की 4.301 है0 भूमि का प्रश्न है तो उक्त भूमि स्व. मुखत्यारसिंह के नाम से दर्ज है तथा मुखत्यारसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसमे मुखत्यारसिंह को प्राप्त हिस्से मे मुखत्यारसिंह के समस्त वारिसान (अपीलांटस व रेस्पो0 सं. 1 ता 5) का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा है। इसी अनुसार अपीलांटस चक 3 डीएलपी की 4.301 है0 भूमि मे मुखत्यारसिंह के नाम दर्ज निस्फ हिस्सा यानि 1/2 मे अपने हिस्से के अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है। इसलिये वादग्रस्त भूमि चक 3 डीएलपी की 4.301 है0 मे मुखत्यारसिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 2.150 है0 मे 1/3–1/3 हिस्सा के अपीलांटस को व 1/3 हिस्सा मे अपीलांटस व रेस्पो0 सं. 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाने न्यायोचित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चक 3 डीएलपी की कुल 4.301 है0 भूमि की हद तक अपास्त किया जाकर अपीलांटस/वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2010 को चक 3 डीएलपी की भूमि की हद तक अपास्त किया जाता है तथा अपीलांटस/वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि चक 3 डीएलपी की 4.301 है0 मे मुखत्यारसिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 2.150 है0 मे 1/3–1/3 हिस्सा के अपीलांटस को व 1/3 हिस्सा मे अपीलांटस व रेस्पो0 सं. 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किया जावें। शेष चक 3 एलएलडब्ल्यू की 5.060 है0 भूमि की सीमा तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 228/2011/223 आरटीए

1. सावित्री देवी पत्नि हरीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेश कुमार पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. रामप्रताप पुत्र बोधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. बलराम पुत्र बोधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. रामकुमार पुत्र बोधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. ओमप्रकाश पुत्र बोधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांटस

बनाम

1. गुरदेवसिंह पुत्र सन्तासिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. इन्द्रसिंह (फौत)

2/1 जगजीत सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

2/2 मलकीत सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

2/3 तेजकौर पत्नि इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

2/4 हरबंश कौर पत्नि मघरसिंह पुत्री इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/5 नसीब कौर पत्नि भोलासिंह पुत्री इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. करनैलसिंह पुत्र चरणसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. जरनैलसिंह पुत्र चरण सिंह (फौत)

4/1 जबन्दसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

4/2 पंजाबसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4/3 छिन्द्रकौर पत्नि जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

5. पृथ्वीराज पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. दलीपाराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. आदराम उर्फ दयालाराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. अमरूराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. दीपाराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. हंसराज पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. पुरखाराम पुत्र रूपाराम (फौत)

11/1 मनफूलराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

11/2 राजेन्द्र पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

11/3 आत्माराम पुत्र पुरखाराम (फौत)

11/3/1 संदीप पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

11/3/2 रोहिताश पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

11/3/3 शिमला पत्नि आत्माराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

11/3/4 अंजू पुत्री आत्माराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. केसराराम पुत्र कानाराम नाम कलमजन
13. सुखराम पुत्र देवाराम (फौत)

13/1 मदनलाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

13/2 रामप्रताप (फौत)

13/2/1 महेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

14. प्रहलाद पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. शिशुपाल पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. भगवाना राम पुत्र रूपाराम (फौत)

16/1 चुन्नी पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कमाणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

16/2 बनवारी पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कमाणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

17. बृजलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट (फौत)

17/1 हनुमान पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

17/2 सुभाष पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

18. रजीराम पुत्र गणेशाराम (फौत)

18/1 गिरदावरी पत्नि रजीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

18/2 इन्द्रसैन पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

18/3 धर्मपाल पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

18/4 शारदा पुत्री रजीराम पत्नि रूपराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

18/5 रोशनी पुत्री रजीराम पत्नि बंशीलाल जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

19. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

————रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.1991 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया मु.न. 127/89 अनवानी इन्द्रसिंह आदि बनाम हरीराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलांटस, श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट, श्री अजयवीरसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 19 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.1991 मे संशोधन किया जाता है कि चक 12 एसबीएन के प.न. 175/201 मु.न. 57 कि.न. 14/0.127, 18 से 23/0.253 प्रत्येक कुल 0.633 है0 के स्थान पर चक 12 एसबीएन के प.न. 175/201 मु.न. 57 कि.न. 14/0.127, 18/0.253 एवं 23/0.253 कुल 0.633 है0 अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.1991 यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 12.01.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ